संख्या– 604/XV–1/1(8)/2009

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 6 अप्रैल, 2009

विषय : वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त के पत्र संख्या–205(1)/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आयोजनेत्तर पक्ष के अर्न्तगत चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में वचनबद्ध मदों के अर्न्तगत **रुपया 96625 हजार (रूपया नौ करोड़ छियासठ लाख पच्चीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न विवरणानुसार प्रादिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

(धनराशि हजार रू0 में)

1–2403–पशुपालन आयोजनेत्तर–00–001–निदेशन तथा प्रशासन 03–निदेशालय		2–2403–पशुपालन आयोजनेत्तर–00–106–अन्य पशुधन विकास 03–राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	
मदांक	धनराशि 1.04.2009 से 31.07.2009 तक	मदांक	धनराशि 1.04.2009 से 31.07.2009 तक
01–वेतन	66667	01–वेतन	3333
02–मजदूरी	50	02–मजदूरी	100
03–महंगाई भत्ता	14667	03–महंगाई भत्ता	733
06–अन्य भत्ता	7333	06–अन्य भत्ता	367
09–विद्युत	333	09–विद्युत	83
10–जलकर	133	10–जलकर	3
13–टेलीफोन	200	13–टेलीफोन	3
15–मोटर गाड़ी अनुरक्षण	333	15–मोटर गाड़ी अनुरक्षण	67
16–व्यवसायिक सेवा शुल्क	2000	16–व्यवसायिक सेवा शुल्क	3
17–किराया	217	17–किराया	0
योग	91933	योग	4692

(रूपया नौ करोड़ छियासठ लाख पच्चीस हजार मात्र)

(1) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि की आहरण वितरण अधिकारी को फॉट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) छठे वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2009–10 में देय 30 प्रतिशत एरियर का भुगतान लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि से नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में देय 40 प्रतिशत वेतन एवं भत्तों के एरियर की धनराशि यदि किसी कारणवश भविष्य निधि में नही डाली जा सकी, तो उसका भुगतान माह जुलाई, 2009 के बाद ही किया जायेगा।

(4) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक–2403–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशालय तथा–2403–00–106–अन्य पशुधन विकास–03–राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त के पत्र संख्या–205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या–604 (1)/XV–1/2009–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त को उनके पत्र संख्या–205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, NIC को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव।